प्रेषक,

आर०डी०पालीवाल,
सचिव, न्याय एवं विधि परामर्शी,
उत्तराखण्ड शासन ।

सेवा में,

महानिबन्धक,
मा० उत्तराखण्ड उच्च न्यायालय,
नैनीताल ।

न्याय अनुभाग : 2 देहरादून : दिनांक : 17 जुलाई, 2007

विषय: नवनिर्मित जिला न्यायालय परिसर, बागेश्वर में कैन्टीन, लिटिजेन्ट शेड, सार्वजनिक शौचालय, सुरक्षा पोस्ट एवं लॉकअप के निर्माण हेतु वित्तीय वर्ष 2007-2008 में धनराशि की स्वीकृति ।

महोदय,

कृपया उपर्युक्त विषयक अपने पत्र संख्या-381/यू०एच०सी०/एडमिन(बी)/निर्माण/2006, दिनांक 12.2.07 एवं पत्र संख्या-401/यू०एच०सी०/एडमिन(बी)/निर्माण/2006, दिनांक 13.2.07 का सन्दर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें ।

2. इस सम्बन्ध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि नवनिर्मित जिला न्यायालय परिसर, बागेश्वर में कैन्टीन, लिटिजेन्ट शेड, सार्वजनिक शौचालय, सुरक्षा पोस्ट एवं लॉकअप के निर्माण हेतु रु० 33.08 + 9.78 लाख अर्थात कुल रु० 42.86 लाख के आगणन के सापेक्ष टी०ए०सी० द्वारा रिटेनिंग वाल एवं ब्रेस्ट वॉल हेतु आगणित धनराशि को घटाते हुए अनुमोदित रु० 30,27,000/- (तीस लाख सत्ताईस हजार रुपये मात्र) की लागत के आगणन की प्रशासकीय एवं वित्तीय स्वीकृति प्रदान करते हुए वित्तीय वर्ष 2007-08 में रु० 30,27,000/- (तीस लाख सत्ताईस हजार रुपये मात्र) की धनराशि को व्यय किये जाने की भी स्वीकृति महामहिम राज्यपाल निम्न शर्तों के अधीन सहर्ष प्रदान करते हैं :-

(1) आगणन में उल्लिखित दरों का विश्लेषण विभाग के अधीक्षण अभियन्ता द्वारा स्वीकृत/अनुमोदित दरों को, जो दरें शिडयूल ऑफ रेट में स्वीकृत नहीं है, अथवा बाजार भाव से ली गई हो, की स्वीकृति नियमानुसार अधीक्षण अभियन्ता का अनुमोदन आवश्यक होगा । तदोपरान्त ही आगणन की स्वीकृति मान्य होगी ।

(2) इस धनराशि के पूर्ण उपयोग के सम्बन्ध में वित्तीय एवं भौतिक प्रगति बताते हुए उपयोगिता प्रमाण-पत्र शासन को प्रत्येक माह उपलब्ध कराया जाय ।

(3) कार्य कराने से पूर्व समस्त कार्यों के विस्तृत आगणन एवं मानचित्र गठित कर सक्षम प्राधिकारी से प्राविधिक स्वीकृति प्राप्त की जाय, तदोपरान्त ही कार्य प्रारम्भ किया जाय ।

(4) कार्य पर स्वीकृत नार्म के अनुसार ही व्यय किया जाय, स्वीकृत नार्म से अधिक व्यय कदापि न किया जाय ।

(5) एक मुश्त प्राविधान को कार्य करने से पूर्व विस्तृत आगणन गठित कर नियमानुसार सक्षम प्राधिकारी से स्वीकृति प्राप्त करने के उपरान्त कार्य टेकअप किया जाय ।

(6) जी०पी०डब्ल्यू० फार्म 9 की शर्तों के अनुसार निर्माण इकाई को कार्य सम्पादित करना होगा तथा समय से कार्य को पूर्ण न करने पर 10 प्रतिशत की दर से आगणन की कुल लागत का निर्माण इकाई से दण्ड वसूल किया जायेगा ।

(7) निर्माण कार्य प्रारम्भ करने से पूर्व समस्त औपचारिकताएं तकनीकी दृष्टि को मद्देनजर रखते हुए एवं लोक निर्माण विभाग द्वारा प्रचलित दरों/विशिष्टियों के अनुरूप ही कार्यों को सम्पादित किया जाय ।

(8) कार्य कराने से पूर्व स्थल का भली-भांति निरीक्षण उच्च अधिकारियों के साथ अवश्य कर ली जाय । निरीक्षण के पश्चात् आवश्यकतानुसार निर्देशों तथा निरीक्षण टिप्पणी के अनुरूप कार्य किया जाय ।

(9) आगणन में धनराशि जिन मदों हेतु स्वीकृत की गई है, उसी मद में व्यय की जाय । एक मद की राशि दूसरी मद में किसी भी दशा में व्यय न की जाय ।

(10) निर्माण सामग्री को प्रयोग में लाने से पूर्व किसी प्रयोगशाला से टेस्टिंग करा लिया जाय तथा उपयुक्त पायी जाने वाली सामग्री को प्रयोग में लाया जाय ।

(11) निर्माण कार्य कराते समय अथवा आगणन गठित करते समय मुख्य सचिव, उत्तराखण्ड के शासनादेश संख्या 2047/XIV/219(2006), 30.5.2006 द्वारा निर्गत आदेशों का कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित किया जाय ।

(12) यदि स्वीकृत राशि में स्थल विकास कार्य सम्भव न हो, तो कार्य कराने से पूर्व विस्तृत आगणन मानचित्र गठित कर शासन से स्वीकृति प्राप्त करनी होगी । स्वीकृत राशि से अधिक कदापि व्यय न किया जाय तथा पूर्व में मुख्य भवन हेतु स्थल विकास के लिए कितनी राशि स्वीकृत थी तथा स्वीकृत राशि के विरूद्ध कितना कार्य किया गया से सम्बन्धित विस्तृत आगणन की प्रति संलग्न की जाय ताकि स्थिति स्पष्ट हो सके । आगणन के साथ विस्तृत स्थल मानचित्र संलग्न करते हुए उसमें पूर्ण डाइमेन्सन भी लाल रंग से प्रदर्शित किया जाय ।

रिटेनिंग वॉल एवं ब्रेस्ट वॉल निर्माण हेतु आगणित धनराशि को स्थल विकास में सम्मिलित करते हुए विस्तृत आगणन तैयार किया जाय । उक्त के साथ ही साथ आर०सी०सी० रिटेनिंग वॉल का निर्माण 1:1:5:3 के अनुपात में कराये जाने के सम्बन्ध में भूगर्भवेत्ता की राय भी आगणन के साथ संलग्न किया जाय ।

(13) व्यय से पूर्व बजट मैनुअल, वित्तीय हस्त पुस्तिका, स्टोर पर्चेज रूल्स, मितव्ययता के सम्बन्ध में समय-समय पर निर्गत आदेश एवं तद्विषयक अन्य आदेशों का अनुपालन किया जाय । कार्य की गुणवत्ता एवं समयबद्धता हेतु सम्बन्धित निर्माण एजेन्सी/अधिशासी अभियन्ता पूर्णरुप से उत्तरदायी होंगे ।

(14) स्वीकृत की जा रही धनराशि का 31.3.2008 तक पूर्ण उपयोग कर स्वीकृत धनराशि की वित्तीय एवं भौतिक प्रगति का विवरण एवं उपयोगिता प्रमाण-पत्र शासन को उपलब्ध करा दिया जाय ।

2- इस सम्बन्ध में होने वाला व्यय वर्तमान वित्तीय वर्ष 2007-2008 के आय-व्यय के अनुदान संख्या 04 के अन्तर्गत लेखा-शीर्षक "4059-लोकनिर्माण कार्य पर पूँजीगत परिव्यय-60-अन्य भवन-051 निर्माण-00-आयोजनागत-03-न्यायिक कार्यों हेतु भवनों का निर्माण-24-वृहत् निर्माण कार्य" के नामे डाला जायेगा ।

3- यह आदेश वित्त अनुभाग-5 के अशासकीय संख्या-704/XXVII(5)/2007, दिनांक 13.7.07 में प्राप्त उनकी सहमति से जारी किये जा रहे हैं ।

भवदीय,

(आर०डी०पालीवाल)
सचिव ।

संख्या-4 दो(8)/XXXVI(1)(2)/2007-तद्दिनांक ।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1. महालेखाकार, उत्तराखण्ड, माजरा, देहरादून ।
2. मुख्य सचिव, उत्तराखण्ड शासन, देहरादून ।
3. जिला न्यायाधीश, बागेश्वर ।
4. वरिष्ठ कोषाधिकारी, नैनीताल/टिहरी गढ़वाल ।
5. मुख्य अभियन्ता, स्तर-1 लोक निर्माण विभाग, देहरादून ।
6. अधिशासी अभियन्ता, प्रान्तीय खण्ड, लोक निर्माण विभाग, बागेश्वर ।
7. नियोजन विभाग/वित्त अनुभाग-5, उत्तराखण्ड शासन ।
8. एन०आई०सी०/सम्बन्धित समीक्षा अधिकारी/गार्ड फाईल ।

आज्ञा से,

(आलोक कुमार वर्मा)
अपर सचिव ।

1707073003. Par